

## कार्यालय जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।

### सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय परिसर में संलग्न सूची संख्या—1 के अनुसार फर्नीचर एवं कार्य सम्पादन की विभिन्न आवश्यक वस्तुएँ आदि तथा सूची संख्या—2 के अनुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सम्बन्धित उपकरणों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 06—12—2024 को अपराह्न 04:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य न्यायालय परिसर में की जायेगी।

उपरोक्त सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाताओं से सूची अनुसार पृथक—पृथक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक ही लिये जायेंगे। नीलामी में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर मुवा 10,000/-रु० की जमानत धनराशि नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में जमा करनी होगी, जो बोली स्वीकार होने पर नीलामी की राशि में समायोजित हो जायेगी अन्यथा अगले कार्य दिवस को वापस कर दी जायेगी।

  
(सुमित कुमार)  
सदस्य, नीलामी समिति/  
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट  
फिरोजाबाद।

  
(सुनील कुमार सिंह—।।।)  
सदस्य, नीलामी समिति/  
प्रथम अपर जिला जज,  
फिरोजाबाद।

  
(हरवीर सिंह)  
अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।


प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ, सूचना पटल पर चर्पा करने तथा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु  
प्रेषित।


- 1—माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2—जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3—स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
- 4—जनपद के समर्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चर्पा करने हेतु।
  1. कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
  2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
  3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
  4. कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
  5. कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद।
5. रेलवेस्टेशन, बस स्टैण्ड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चर्पा कराने हेतु।


## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

### नीलामी की आवश्यक शर्तें

- 1— अप्रयोज्य फर्नीचरों, कम्प्यूटर्स हार्डवेयर एवं अन्य उपकरणों की नीलामी हेतु बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि ₹0 10,000/-₹0 (दस हजार) को नजारत अनुभाग में जमा कराना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि व्यक्ति/प्रतिष्ठान के नाम बोली नहीं छूटती है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति/प्रतिष्ठान को वापस कर दी जायेगी।
- 2— नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पासपोर्ट साईज फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान हेतु दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति/प्रतिष्ठान को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 3— सर्वोच्च बोलीदाता को बोली की 25% धनराशि तत्काल नकद नजारत अनुभाग में जमा करानी होगी।
- 4— सर्वोच्च बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के उपरान्त 07 दिन के अन्दर सामान का कब्जा लेने से पूर्व बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
- 5— न्यायालय में रखे कम्प्यूटर सम्बन्धी निष्प्रयोज्य सामान एवं अप्रयोज्य फर्नीचर का निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पूर्व किया जा सकेगा।
- 6— नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कोई कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।
- 7— किसी भी दशा में नीलामी राशि, निर्धारित जमानत धनराशि से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 8— अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी।
- 9— नीलामी हेतु सन्दर्भित निष्प्रयोज्य सामान का कब्जा जहाँ है, जैसा है के आधार पर दिया जायेगा। किसी भी प्रकार का ढुलाई अथवा मार्ग व्यय देय नहीं होगा। केता को स्वयं के खर्च पर सामान का उठान करना होगा।
- 10— नीलाम केता को नीलामी सम्बन्धी सभी औपचारिकताएँ स्वयं पूर्ण करनी होंगी।
- 11— क्रम 01 एवं 02 पर वर्णित प्रपत्र व धनराशि नीलामी की दिनांक 06.12.2024 के दोपहर 1:00 बजे तक नजारत अनुभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात कोई भी प्रपत्र अथवा दस्तावेज प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

  
 (सुमित्र अली)  
 सदस्य, नीलामी समिति/  
 विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट  
 फिरोजाबाद।

  
 (सुनील कुमार सिंह- ।)  
 सदस्य, नीलामी समिति/  
 प्रथम अपर जिला जज,  
 फिरोजाबाद।

  
 (हरकीर सिंह)  
 अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 फिरोजाबाद।